(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

Dated: 18,10,2021,

NOTIFICATION

No. F 8(06)/2021/DAM/MR/ 2075 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be the members of the Agricultural Produce Marketing Committee, Narela, Delhi, namely:-

THREE NOMINATED AGRICULTURISTS

1. Sh. Mukesh 572, Pooth Kalan, Delhi-110086. Member

Sh. Virender Tyagi
 1/10247-B, West Gorakh Park,
 Gali No. 1, Shahdara, Delhi-110032.

Member

Sh. Sanjay Kumar
 115, Subedar Ram Mehar Gali,
 Village Tajpur Kalan, Delhi.

Member

TWO ELECTED TRADERS AND COMMISSION AGENTS

 Sh. Rajiv Kumar Singhal House No. 2151, Gali No.-1, Anaj Mandi Vistar, Narela, Delhi-110040. Member

2. Sh. Raj Kumar 2082-D, Old Anaj Mandi, Narela, Delhi-110040. Member

M

ONE REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY

Sh. Anand Singh, Municipal Councilor Ward No. 034-N (Rohini-D) H.No. - 345, Poot Kalan Village, Delhi-110086

Member

ONE ELECTED MEMBER OF LICENSED WEIGHMEN AND MEASURERS

1. Sh. Santosh Yadav 2074, Narela Mandi, Delhi-110040. Member

ONE NOMINATED MEMBER OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

1. Sh. Sharad Kumar Chauhan, MLA H.No. 123, Bhumiya Chowk, Village Bakoli, Delhi-110036.

Member

TWO NOMINATED MEMBERS TO REPRESENT THE INTEREST OF CONSUMER

1. Sh. Salim Khan C-110/13, Gali No. 12, North Ghonda, Delhi-110053. Member

2. Sh. Ashok Gupta I-105, Phase-1, Ashok Vihar, Delhi-110052.

Member

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the Members of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of their names in the official Gazette. They shall hold office for a term of three years as provided under section 41 of the said Act.

> By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> > (MADHUP VYAS) SECRETARY (DEVELOPMENT)

GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F8(06)/2021/DAM/MR/ 2076 -2098 Dated: 18.10.2021,

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3 The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- The Principal Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5 The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 6 The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7 The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 9 The Chairman, Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary, Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10 The Director, Deptt. of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11 The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Gazette (Extra Ordinary) Part-IV and copies of the same may be arranged for this office.
- 12 The Secretary, APMC (MNI), Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market), Gazipur Delhi, Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi and Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur, Delhi.
- 13 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi

14 Guard file.

holy

(MADHUP VYAS) SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग—4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

दिनांकः 18.10.202/

अधिसूचना

सं एफ 8(06) / 2021 / डी०ए०एम० / एम०आर० / २०७५ दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या ७, 1999) की धारा ३६ की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को कृषि उपज विपणन सिमित, नरेला, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं:-

तीन मनोनित कृषक

श्री मुकेश
 572, पुढ कंला, दिल्ली–110086.

सदस्य

श्री विरेन्द्र त्यागी
 1/10247-बी, पश्चिम गौरख पार्क,
 गली नं0 1, शाहदरा, दिल्ली-110032.

सदस्य

 श्री संजय कुमार
 115, सुबेदार राम मेहर गली, गांव ताजपुर कंला, दिल्ली. सदस्य

दो निर्वाचित व्यापारी और आढ़ती

१ श्री राजीव कुमार सिंघल मकान न0 2151, गली नं0 –1, अनाज मण्डी विस्तार, नरेला, दिल्ली–110040.

सदस्य

2 श्री राज कुमार 2082—डी, पुरानी अनाज मण्डी, नरेला, दिल्ली—110040.

सदस्य



एक प्रतिनिधी स्थानीय प्राधिकरण

1 श्री आन्नद सिंह, निगम पार्षद वार्ड न०–034–एन (रोहिणी–डी) म.न.–345, पुठ कंला गांव, दिल्ली–110086 सदस्य

एक निर्वाचित सदस्य माप व तौल वर्ग

श्री संतोष यादव
 2074, नरेला मण्डी, दिल्ली—110040.

सदस्य

एक मनोनित सदस्य दिल्ली विधानसभा

1 श्री शरद कुमार चौहान, विधायक म.न. 123, भुमिया चौक, गांव बकोली, दिल्ली—110036. सदस्य

दो मनोनित सदस्य उपभोक्ता हितकर वर्ग

 श्री सलीम खान सी-110 / 13, गली नं 12, उत्तरी घोंडा, दिल्ली-110053.

सदस्य

 श्री अशोक गुप्ता आई–105, फेस–1, अशोक विहार, दिल्ली–110052. सदस्य

.

इसके अतिरिक्त, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यभार संभालने का निर्देश देते है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

hadle

(मघुप व्यास) सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सं एफ 8(06)/2021/डी०ए०एम०/एम०आर०/ 2076-90

दिनांकः 18.10.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 5 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डर हिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 11 उप–सचिव (सा.प्र.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र (असाधारण) भाग–4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- 12 सचिव, कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी), गाजीपुर, दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 13 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- १४ गार्ड फाईल।

(मधुप व्यास) सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार